

14/11/19

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी अप
वकील प्रार्थी ने जाहिर किया कि
तहसीलदार का जवाब आ चुका है।
तथा तहसीलदार ने अपने जवाब में
नाम दुरुशती की अभिशंका की है।

इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार
किया जावे। निर्णय पृथक से लिखा
जाकर संलग्न किया गया। निर्णय के
अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र
स्वीकार किया जाता है।

पत्रावली फैसल नुमां होकर
नम्बर से काम की जाकर दाखिल
दफ्तर है।

न्यायक कलेक्टर धोशियार

